

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के नगर निगमों में पदस्थापित सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी, सहायक नगर योजना (टाउन प्लानिंग) पर्यवेक्षक, नव पदस्थापित सहायक वास्तुविद तथा नियमित नगर प्रबंधकों का माह फरवरी, 2026 तक (बकाया सहित) के वेतनादि (DA, HRA एवं चिकित्सा भत्ता सहित) भुगतान हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत सहायक अनुदान के रूप में कुल ₹5707666.00 (सतावन लाख सात हजार छह सौ छियासठ रुपये) मात्र की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में नगर निगमों में पदस्थापित सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी, सहायक नगर योजना (टाउन प्लानिंग) पर्यवेक्षक, नव पदस्थापित सहायक वास्तुविद तथा नियमित नगर प्रबंधकों हेतु माह फरवरी, 2026 तक के वेतनादि (बकाया सहित) भुगतान हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत सहायक अनुदान के रूप में ₹5707666.00 (सतावन लाख सात हजार छह सौ छियासठ रुपये) मात्र निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है:-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी के वेतनादि हेतु राशि	सहायक नगर योजना (टाउन प्लानिंग) पर्यवेक्षक के वेतनादि हेतु राशि	सहायक वास्तुविद के वेतनादि हेतु राशि	नियमित नगर प्रबंधक के वेतनादि हेतु राशि	कुल स्वीकृत की जाने वाली राशि (बकाया सहित माह फरवरी, 2026 तक)	पी०एल० खाता	HOA संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नगर निगम, समस्तीपुर	0.00	0.00	900662.00	546416.00	1447078.00	STRPLA006	00-8448-00-102-0001-00-01
2	नगर निगम, मुंगेर	0.00	687808.00	0.00	0.00	687808.00	MGRPLA011	00-8448-00-102-0001-00-01
3	नगर निगम, मधुबनी	722680.00	722680.00	0.00	558416.00	2003776.00	MDNPLA007	00-8448-00-102-0001-00-01
4	नगर निगम, मोतिहारी	0.00	0.00	897353.00	0.00	897353.00	ECHPLA016	00-8448-00-102-0001-00-01
5	नगर निगम, आरा	0.00	465446.00	206205.00	0.00	671651.00	BJRPLA006	00-8448-00-102-0001-00-01
	कुल	722680.00	1875934.00	2004220	1104832.00	5707666.00		

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹5707666.00 (सतावन लाख सात हजार छह सौ छियासठ रुपये) मात्र।

2. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-227, दिनांक-28.03.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

उप सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि संबंधित नगर निगम के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

3. यह राशि जिस मद में आवंटित है, उसी मद में व्यय होगी। किसी भी परिस्थिति में विचलन द्वारा अन्य मद में व्यय नहीं की जायेगी। राशि व्यय होते ही व्यय विवरणी विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

4. वित्त विभाग के संकल्प सं०-573, दिनांक-16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक-19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271 के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है। तदालोक में राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक-63, दिनांक-11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BTC-42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

5. स्वीकृत राशि ₹5707666.00 (सतावन लाख सात हजार छह सौ छियासठ रुपये) मात्र की निकासी, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत माँग सं०-48 के मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष-191-नगर निगम को सहायत, उपशीर्ष-0003-नगर निकायों में कार्यरत राज्यकर्मि, विपत्र कोड-48-2217-03-191-0003, विषय शीर्ष-0003.31.04 सहायक अनुदान-वेतन मद से की जायेगी।

6. स्वीकृत राशि यदि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय नहीं हो सके या व्यय होने की संभावना नहीं हो तो शेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक-31.03.2026 तक अवश्य कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में अव्यवहृत राशि को किसी बैंक खाता में नहीं रखा जाय अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितता की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि(2), दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

8. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-2ब०/विविध-16-03/2024 (पार्ट) के पृष्ठ सं०-28/टि० पर दिनांक-07/01/26 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-28/टि० पर दिनांक-08/01/26 को प्राप्त है।

9. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम तथा संबंधित कोषागार को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

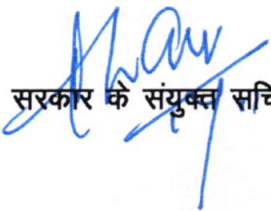
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/विविध-16-03/2024 (पार्ट) 426

/न०वि०एवंआ०वि० पटना, दिनांक-12/11/26

प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त,/संबंधित नगर निगम/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार, बिहार/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विकास भवन पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-02 एवं प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-06, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० प्रबंधक को सभी संबंधित को ई०मेल करने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02 को (2 प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी से अनुरोध है कि आवंटित राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाए।


सरकार के संयुक्त सचिव।